न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 34/2024 **दायर दिनांकः 19.12.2024**

उनवान

1. ज्योति गौतम आयु 50 वर्ष पुत्री बृजमोहन पत्नी सत्यनारायण गौतम जाति ब्राहमण निवासी ननावता हाल मुकाम चौमुखा बाजार बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 151 का खसरा नं. 470 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 532 का रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 533 का रकबा 0.83 है0, खसरा नं. 534 का रकबा 0.70 है0, खसरा नं. 535 का रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 536/1547 का रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 740/1546 का रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 741 का रकबा 0.60 है0, खसरा नं. 742/1500 का रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 743 का रकबा 0.73 है0 कुल किता 10 का रकबा 3.60 हैक्टर आराजी हिस्सा 1/18 प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। वाके ग्राम एवं माल ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 188 का खसरा नं. 332 का रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.06 हैक्टर आराजी हिस्सा 1/102 प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। वाके ग्राम एवं माल ननावता तहसील अटरू में खाता संख्या 198 का खसरा नं. 330 का रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 331 का रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 333 का रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 334 का रकबा 0.12 है.0, खसरा नं. 338 का रकबा 0.71 है0 कुल किता 5 का रकबा 1.32 हैक्टर आराजी हिस्सा

1/36 प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। उपरोक्त तीनो खातों की नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 ता 3 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थिया का नाम ज्योति गौतम के स्थान पर जनक दुलारी दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम ज्योति गौतम है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में भी ज्योति गौतम नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 ता 3 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर अपना नाम जनक दुलारी के स्थान पर ज्योति गौतम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जनक दुलारी कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थिया कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र पत्र की मद नं. 1 ता 3 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर अपना नाम जनक दुलारी के स्थान पर ज्योति गौतम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल ननावता तहसील अटरु जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक़्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 ता 3 में वर्णित आराजी ग्राम/माल ननावता की खाता संख्या 151 कुल किता 10 का रकबा 3.60 है0, खाता संख्या 188 कुल किता 1 का रकबा 0.06 है0 व खाता संख्या 198 कुल किता 5 का रकबा 1.32 है0 में प्रार्थिया का नाम जनक दुलारी के स्थान पर ज्योति गौतम दर्ज करने या विकल्प में जनक दुलारी उर्फ़ ज्योति गौतम दर्ज के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1571 दिनांक 13.05.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल ननावता सम्वत 2073–76 खाता संख्या 151, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल ननावता सम्वत 2073–76 खाता संख्या 188, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल ननावता सम्वत 2073–76 खाता संख्या 198, आधार कार्ड, पेन कार्ड (AVBPJ4168Q), जनआधार कार्ड, बैंक डायरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र साक्ष्य गवाहान अर्चना शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी ननावता व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम ननावता खाता संख्या 151, जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम ननावता खाता संख्या 188 व जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम ननावता खाता संख्या 198 में सहखातेदार प्रार्थिया की बहिन अर्चना शर्मा पुत्री बृजमोहन ने भी जनक दुलारी का नाम ज्योति गौतम होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य गवाहान तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल ननावता में खाता संख्या 151 का कुल किता 10 का रकबा 3.60 है0, ग्राम एवं माल ननावता में खाता संख्या 188 का खसरा नं. 332 का रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.06 हैक्टर व ग्राम एवं माल ननावता में खाता संख्या 198 का कुल किता 5 का रकबा 1.32 है0 आराजी में सहखातेदार जनक दुलारी पुत्री बृजमोहन के स्थान पर ज्योति गौतम उर्फ जनक दुलारी पुत्री बृजमोहन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल ननावता में खाता संख्या 151 का कुल किता 10 का रकबा 3.60 है0, ग्राम एवं माल ननावता में खाता संख्या 188 का खसरा नं. 332 का रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.06 हैक्टर व ग्राम एवं माल

ननावता में खाता संख्या 198 का कुल किता 5 का रकबा 1.32 है0 आराजी में सहखातेदार जनक दुलारी पुत्री बृजमोहन के स्थान पर ज्योति गौतम उर्फ जनक दुलारी पुत्री बृजमोहन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां